Helpline 1064 · 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 4 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 नवम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अरूण कुमार तकनीकी सहायक कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कानोता, जयपुर को परिवादी से **4 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके मकान में विद्युत कनेक्शन करने एवं छत के पास लाईन का फाल्ट ठीक करने की एवज में अरूण कुमार तकनीकी सहायक कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कानोता, जयपुर द्वारा **6 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक, पुलिस निरीक्षक श्री भंवर सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये अरूण कुमार पुत्र श्री नरेश चंद निवासी पालनपुर, तहसील व थाना हिण्डौनसिटी, जिला करौली हाल तकनीकी सहायक कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कानोता, जयपुर को परिवादी से 4 **हजार 500 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।